

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक स्था0-2/अ/08-11/2007/713

भोपाल, दिनांक 9/5/07

/संशोधन आदेश/


लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक स्था0-2/ए/451-452 एवं 453-454 दिनांक 15.03.07 के द्वारा शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता पद पर पदोन्नति की जाकर पदोन्नत व्याख्याताओं की पदस्थापना कालम क्रमांक 4 में अंकित संस्था में की गई थी ।

एतद् द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित पदोन्नत व्याख्याताओं की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख कालम क्रमांक 5 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से की जाती है:-

सं. क्र.	नाम एवं पदोन्नति पूर्व पदस्थ संस्था	विषय	पदोन्नति पश्चात पदस्थापना	संशोधित पदस्थापना
1	2	3	4	5
1	श्रीमती नीता गर्ग, शा.मा. शा.लाम्बाखेड़ा भोपाल	भौतिक	शा.उ.मा.वि. बैरागढ़ भोपाल	शा.उ.मा.वि. जहाँगीरिया भोपाल
2	श्री राम दत्त त्रिवेदी, शा. मा.वि.दिगुवां दतिया	अंग्रेजी	शा.क.उ.मा.वि. राघोगढ़ गुना	शा.क.उ.मा.वि. इंदरगढ़ दतिया
3	श्री विज्जन कुमार बाथम, शा.मा.वि.जौरी ब्राम्हण,भिण्ड	इतिहास	शा.उ.मा.वि.बकतरा सीहोर	शा.क.उ.मा.वि. गोहद भिण्ड

1. पदोन्नति आदेश में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।
2. पदोन्नत व्याख्याता दिनांक 18 मई 2007 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति संशोधित पदांकित संस्था में व्याख्याता पद पर देंगे । उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर इनकी पदोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्रमांक स्था0-2/अ/08-11/2007/714
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 9/5/07

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन भोपाल ।
2. निज सचिव माननीय राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन भोपाल ।

3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल, दतिया, भिण्ड, की ओर सूचनार्थ ।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय भोपाल/ग्वालियर म.प्र.।
6. जिला कोषालय अधिकारी भोपाल/दतिया/भिण्ड म.प्र.।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल, दतिया एवं भिण्ड की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि पदोन्नति आदेश में उल्लेखित शर्तों की पुष्टि उपरांत पदोन्नत व्याख्याताओं को उपरोक्तानुसार संशोधित पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर निर्देशित करें कि वे निर्धारित समयावधि दिनांक 18 मई 2007 तक अनिवार्य रूप से संशोधित पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करें ।
8. संबंधित प्राचार्य ।
9. संबंधित पदोन्नत व्याख्याता की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश